कम्प्यूटर में दक्षता के बाद ही वेतन वृद्धि पटना, जागरण ब्यूरो : आप सचिवालय सहायक, पर्यवेक्षकीय संवर्ग या समूह ग के कर्मी हैं और कम्प्यूटर से भाग रहे हैं तो यह मुनासिब नहीं है। कम्प्यूटर में सक्षम न होने पर आपकी अगली वेतन वृद्धि न होगी। सरकार ने कम्प्यूटर सक्षमता नियमावली को मंजूरी दे दी है। आदेश जारी कर कम्प्यूटर दक्षता को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी दक्षता के आधार पर ही सेवा भी सम्पुष्ट होगी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत संस्था डीओइएसीसी (डोएक) के माध्यम से कम्प्यूटर सक्षमता जांच की परीक्षा होगी। परीक्षा में पास होना जरूरी है। इसी प्रमाणपत्र के आधार पर सेवा सम्पुष्टि होगी। अगर आप की सेवा पहले से सम्पुष्ट है तो अगले वेतन वृद्धि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। पास होने तक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। प्रमाणपत्र समर्पित किये जाने के बाद भूतलक्षी प्रभाव से वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। डोएक के कोर्स-पाठ्यक्रम के बारे में सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग तय करेगा।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति